



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241344
CG-DL-E-23122022-241344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5749]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5749]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5987(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3020(अ) तारीख 29.06.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 01.08.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में मुम्बई – नागपुर – झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपुर - जबलपुर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मुम्बई—नागपुर—झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग — नागपुर —जबलपुर						
राज्य : मध्यप्रदेश						
जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	घोघरा	1	00	01	62
			4	00	03	23
			3	00	04	71
			11	00	26	66
			8	00	00	01
			9/1	00	00	46
			10/1	00	27	63
			10/2	00	00	06
			12/1	00	09	63
			12/2	00	15	54
			58	00	23	20
			43/2	00	27	23
			43/1	00	00	04
			42/2	00	11	48
			42/1	00	12	75
			22/7	00	15	67
			22/1	00	15	11
जबलपुर	जबलपुर	निमखेडा	273	00	07	40
			275	00	06	59
			274	00	12	41
			267/2	00	00	01
			267/1	00	12	30
			266	00	00	02
			216	00	18	70
			215	00	06	09
			214	00	05	12
			213	00	14	67
			156	00	03	24
			154	00	07	03
			152	00	02	85

			153/2	00	06	33
सिवनी	छपारा	पिपरिया	144/2	00	13	42
			144/3	00	10	15
			58/2	00	01	35
			140	00	28	11
			139/2	00	16	82
			57	00	00	93
			60/6	00	10	87
			60/4	00	27	86
			61/2	00	00	36
			62/2	00	09	98
			62/1	00	15	55
			69	00	00	83
			48	00	15	96
			47/6	00	22	97
			47/5	00	00	15
			47/2	00	01	92
			47/3	00	17	13
			47/4	00	00	86
			22/1,22/2,22/3,22/4,22/5,22/6, 22/7,22/8,22/9,22/10,22/11	00	21	85
			31	00	04	86
			23/1	00	12	91
			23/2/1	00	18	59
			23/2/2	00	00	89
			20/5/1	00	05	98
			20/5/4	00	11	77
			20/5/5	00	01	82
			18/2	00	11	15
			18/1	00	09	51
			16/1	00	00	08
			17	00	02	42
			12	00	02	38
			10/2	00	24	02
			10/3	00	01	50

[फा. सं. एल-14014/145/2022-जीपी-II(ई-43446)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5987(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3020 (E) dated 29.06.2022 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 01.08.2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **Nagpur – Jabalpur Pipeline section of Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Pipeline Project** in the State of **Madhya Pradesh** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section - Nagpur - Jabalpur						
State : Madhya Pradesh						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Chhindwara	Chhindwara	Ghoghra	1	00	01	62
			4	00	03	23
			3	00	04	71
			11	00	26	66
			8	00	00	01
			9/1	00	00	46
			10/1	00	27	63
			10/2	00	00	06
			12/1	00	09	63
			12/2	00	15	54
			58	00	23	20
			43/2	00	27	23
			43/1	00	00	04
			42/2	00	11	48
			42/1	00	12	75

			22/7	00	15	67
			22/1	00	15	11
State : Madhya Pradesh						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Jabalpur	Jabalpur	Neem Kheda	273	00	07	40
			275	00	06	59
			274	00	12	41
			267/2	00	00	01
			267/1	00	12	30
			266	00	00	02
			216	00	18	70
			215	00	06	09
			214	00	05	12
			213	00	14	67
			156	00	03	24
			154	00	07	03
			152	00	02	85
			153/2	00	06	33
Seoni	Chhapara	Pipariya	144/2	00	13	42
			144/3	00	10	15
			58/2	00	01	35
			140	00	28	11
			139/2	00	16	82
			57	00	00	93
			60/6	00	10	87
			60/4	00	27	86
			61/2	00	00	36
			62/2	00	09	98
			62/1	00	15	55
			69	00	00	83
			48	00	15	96
			47/6	00	22	97
			47/5	00	00	15
			47/2	00	01	92
			47/3	00	17	13

	47/4	00	00	86
	22/1,22/2,22/3,22/4,22/5,22/6,22/7,22/8,22/9,22/10,22/11	00	21	85
	31	00	04	86
	23/1	00	12	91
	23/2/1	00	18	59
	23/2/2	00	00	89
	20/5/1	00	05	98
	20/5/4	00	11	77
	20/5/5	00	01	82
	18/2	00	11	15
	18/1	00	09	51
	16/1	00	00	08
	17	00	02	42
	12	00	02	38
	10/2	00	24	02
	10/3	00	01	50

[F. No. L-14014/145/2022-GP-II)(E-43446]

RAKESH MISHRA, Under Secy.